प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी,
जनपद–बाराबंकी,
उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या–एम0डी0–कैम्प/2019–20 दिनांकः 03 फरवरी, 2020

विषयः–जनपद–बाराबंकी के विभिन्न चिकित्सा इकाईयों की दिनांक 29.01.2020 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा किये गये भ्रमण की निरीक्षण आख्या के अनुपालन विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 29.01.2020 को जनपद–बाराबंकी के विभिन्न चिकित्सा इकाईयों में संचालित स्वास्थ्य गतिविधियों का निरीक्षण किया गया। चिकित्सा इकाईवार भ्रमण आख्या आपको इस निर्देश के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि कृपया भ्रमण में पायी गई कमियों **को 01 माह के अन्तर्गत दूर कराते हुए कृत कार्यवाही/अनुपालन आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।**

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(विजय विश्वास पन्त)
मिशन निदेशक।

पत्र संख्या–एम0डी0–कैम्प/2019–20 1697 , तद्दिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, जनपद–बाराबंकी को आशय के साथ प्रेषित भ्रमण आख्या में पायी गई कमियों को अपनी समीक्षा बिन्दुओं में सम्मिलित करने का कष्ट करें।
5. ***अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, अयोध्या मण्डल, अयोध्या को भ्रमण आख्या की एक प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित कि भ्रमण आख्या में इंगित कमियों को अपने स्तर पर समीक्षा करते हुए दूर करना सुनिश्चित करें तथा की गई कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को 01 के अन्दर सूचित करना सुनिश्चित करें।***
6. प्रभारी चिकित्साधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र–मित्तई/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र–देवा एवं मुख्य चिकित्साधीक्षक–जिला महिला चिकित्सालय, बाराबंकी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपनी चिकित्सा इकाईयों में पायी गई कमियों को यथाशीघ्र दूर करना सुनिश्चित करें।
7. महाप्रबन्धक, मातृ स्वास्थ्य, कम्युनिटी प्रोसेस, शिशु स्वास्थ्य नियमित टीकाकरण, प्रोक्योरमेंट, आर.बी.एस.के., क्वालिटी एश्योरेंस, तथा अनुश्रवण एवं मूल्यांकन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने कार्यक्रम से सम्बन्धित समस्याओं को समन्वय करते हुए दूर कराना सुनिश्चित करें।

(विजय विश्वास पन्त)
मिशन निदेशक।

Scanned by CamScanner

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी,
जनपद–बाराबंकी,
उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या–एम0डी0–कैम्प/2019–20/169 दिनांकः 03 फरवरी, 2020

विषयः–जनपद–बाराबंकी के विभिन्न चिकित्सा इकाईयों की दिनांक 29.01.2020 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा किये गये भ्रमण की निरीक्षण आख्या के अनुपालन विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 29.01.2020 को जनपद–बाराबंकी के विभिन्न चिकित्सा इकाईयों में संचालित स्वास्थ्य गतिविधियों का निरीक्षण किया गया। चिकित्सा इकाईवार भ्रमण आख्या आपको इस निर्देश के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि कृपया भ्रमण में पायी गई कमियों **को 01 माह के अन्तर्गत दूर कराते हुए कृत कार्यवाही/अनुपालन आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।**

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(विजय विश्वास पन्त)
मिशन निदेशक।

पत्र संख्या–एम0डी0–कैम्प/2019–20 , तद्दिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, जनपद–बाराबंकी को आशय के साथ प्रेषित भ्रमण आख्या में पायी गई कमियों को अपनी समीक्षा बिन्दुओं में सम्मिलित करने का कष्ट करें।
5. ***अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, अयोध्या मण्डल, अयोध्या को भ्रमण आख्या की एक प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित कि भ्रमण आख्या में इंगित कमियों को अपने स्तर पर समीक्षा करते हुए दूर करना सुनिश्चित करें तथा की गई कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को 01 के अन्दर सूचित करना सुनिश्चित करें।***
6. प्रभारी चिकित्साधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र–मित्तई/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र–देवा एवं मुख्य चिकित्साधीक्षक–जिला महिला चिकित्सालय, बाराबंकी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपनी चिकित्सा इकाईयों में पायी गई कमियों को यथाशीघ्र दूर करना सुनिश्चित करें।
7. महाप्रबन्धक, मातृ स्वास्थ्य, कम्युनिटी प्रोसेस, शिशु स्वास्थ्य नियमित टीकाकरण, प्रोक्योरमेंट, आर.बी.एस.के., क्वालिटी एश्योरेंस, तथा अनुश्रवण एवं मूल्यांकन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने कार्यक्रम से सम्बन्धित समस्याओं को समन्वय करते हुए दूर कराना सुनिश्चित करें।

(विजय विश्वास पन्त)
मिशन निदेशक।

Scanned by CamScanner

दिनांक 29.01.2020 को मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश द्वारा जनपद–बाराबंकी के विभिन्न चिकित्सा इकाईयों की गई निरीक्षण आख्या

मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में जनपद–बाराबंकी के विभिन्न चिकित्सा इकाईयों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जनपद–बाराबंकी के मुख्य चिकित्साधिकारी, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला प्रतिरक्षण अधिकारी, प्रभारी चिकित्साधिकारी–देवा तथा मुख्यालय से महाप्रबन्धक–मातृ स्वास्थ्य, महाप्रबन्धक–अनुश्रवण एवं मूल्यांकन, उप महाप्रबन्धक–कम्युनिटी प्रोसेस, उप महाप्रबन्धक–उपार्जन एवं अन्य मण्डलीय तथा जनपदीय अधिकारी उपस्थित थे। भ्रमण आख्या निम्नवत् है–

ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस (वी.एच.एन.डी.), बबुरिहा– सर्वप्रथम ग्राम बबुरिहा में चल रहे वी.एच.एन.डी. का निरीक्षण किया गया।निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि–

1. ए.एन.एम.–श्रीमती आरती, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती–श्रीमती–मनोरमा, आशा–श्रीमती अंजू एवं बी.पी.एम.–श्रीमती–प्रीति उपस्थित थीं।
2. निरीक्षण के दौरान अवगत कराया गया कि आशा–श्रीमती अंजू को अभी तक आशा मॉड्यूल 6 एवं 7 चरण का प्रशिक्षण नहीं कराया गया है जिससे आशा को एच.बी.एन.सी. कार्यक्रम के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी नहीं थी।
3. आशा डायरी में ''नाम'' वाले कॉलम में पर्याप्त स्थान न होने के कारण आशा द्वारा कई बार (Whitner) का प्रयोग किया गया था।
4. आशा डायरी में नवीन टीकाकरण/सूची को सम्मिलित कराये जाने/Update in new version का सुझाव दिया गया।
5. निरीक्षण के दौरान यह भी संज्ञान में लाया गया शिशु मृत्यु एवं मातृ मृत्यु की नियमित समीक्षा एवं इसका आडिट जनपद स्तर नहीं की जा रही है जिसके कारण राज्य स्तर पर इसकी रिपोर्टिंग भी नहीं हो रही है।
6. आर.सी.एच रजिस्टर का प्रोटोटाइप भारत सरकार द्वारा उपलब्ध न हो पाने के कारण अभी तक जनपद स्तर पर उपलब्ध नहीं हो सका है। इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि भारत सरकार से समन्वय स्थापित करते हुए आर.सी.एच रजिस्टर का प्रोटोटाइप यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
7. आशाओं को DOTS प्रोवाइडर्स बनाने हेतु राज्य स्तर से दिशा–निर्देश प्रेषित किये जाने हेतु निर्देश दिये गये।
8. आशा द्वारा जानकारी दी गई उनके सभी मानदेय का भुगतान ससमय हो रहा है।
9. निरीक्षण के दौरान वी.एच.एन.डी. में प्रयोग आने वाले समस्त आवश्यक औषधियाँ एवं उपकरण उपलब्ध पाये गये।
10. आशा को Record keeping की जानकारी नहीं थी।
11. वी.एच.एन.डी. सत्र में उपस्थित महिलाओं ज्यादातर महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के सम्बन्ध में जानकारी नहीं थी। आशा द्वारा मात्र 04 लाभार्थियों की सूचना अंकित की गई थी जिसमें से 01 लाभार्थी का भुगतान इस लिए नहीं किया गया था कि लाभार्थी का बचत खाता नहीं था, जैसा कि आशा ने बताया। परन्तु लाभार्थी से दूरभाष पर वार्ता के दौरान यह संज्ञान में आया कि लाभार्थी का बचत खाता खुला हुआ था। उक्त से यह प्रतीत होता है कि क्षेत्र में आशाओं द्वारा भ्रमण नहीं किया जा रहा है।

Scanned by CamScanner

निर्देश– *प्रभारी चिकित्साधिकारी–देवा एवं मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया गया कि निरीक्षण के दौरान पायी गई उपर्युक्त कमियों का निराकरण यथाशीघ्र कराना सुनिश्चित करें तथा आशाओं को गृह भ्रमण हेतु प्रेरित करें। जिन प्रकरणों में राज्य स्तर से निर्देश प्राप्त किया जाना है, उनके सम्बन्ध में तत्काल पत्र के माध्यम से अवगत कराना सुनिश्चित करें।*

हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर (एच.डब्ल्यू.सी.), ग्वारी– ग्वारी स्थित एच.डब्ल्यू.सी. के निरीक्षण के दौरान निम्नलिखित तथ्य संज्ञान में आयेः

1. हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर तैनात सी.एच.ओ.–सुश्री आरजू सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि सर्वाइकल कैंसर से सम्बन्धित प्रशिक्षण न होने के कारण, उनके द्वारा इसकी जाँच नहीं की जा रही है।
2. आशाओं द्वारा भरे गये Family Folder और CBAC *फार्मों में सम्बन्धित लाभार्थियों का मोबाइल नम्बर अंकित नहीं किये जा रहे हैं,* जिससे सम्बन्धित व्यक्ति से उक्त का परीक्षण/वेरीफिकेशन कराया जाना संभव नहीं हो पाया।
3. सी.एच.ओ. द्वारा निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष फार्मों को उपलब्ध कराये गये टैबेलेट में फीडिंग पर्याप्त मात्रा में नहीं की जा रही है।
4. सी.एच.ओ. द्वारा मात्र उन्हीं मरीजों की स्क्रीनिंग की जा रही थी जो कि आशा द्वारा सेण्टर पर उपलब्ध कराये गये थे।
5. *सी.एच.ओ. के पास रोगियों को दी जाने वाली 'रेफरल स्लिप' उपलब्ध नहीं थी।* उनके द्वारा उच्च इकाईयों को संदर्भित किये जा रहे व्यक्तियों/रोगियों को मौखिक निर्देश दिये जा रहे थे जो कि उचित नहीं है।
6. निरीक्षण के दौरान यह भी संज्ञान में आया कि सेन्टर पर ग्लूकोमीटर दिनांक 17.01.2020 को उपलब्ध कराया गया एवं *सुगर की जाँच हेतु स्ट्रिप पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं* करायी गई है।
7. हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर का भवन, नया बनाया गया है परन्तु भवन में सीलन आ रही है तथा सेन्टरर के बाथरूम में पानी की व्यवस्था नहीं की गई है।
8. वेलनेस सेन्टर पर आयी आशाओं द्वारा अवगत कराया गया उनके मानदेय का भुगतान ससमय किया जा रहा है। एक आशा द्वारा अवगत कराया गया है गत वर्ष *उनके क्षेत्र एक 1.6 साल के बच्चे (पिता का नाम –श्री शिव कुमार) की मृत्यु हुई है।*

निर्देश– *प्रभारी चिकित्साधिकारी–देवा एवं मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया गया कि निरीक्षण के दौरान पायी गई उपर्युक्त कमियों का निराकरण यथाशीघ्र कराना सुनिश्चित करें तथा ग्वारी क्षेत्र में मातृ एवं शिशु मृत्यु की समीक्षा एवं रिर्पोटिंग कराना सुनिश्चित करें।*

हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर (एच.डब्ल्यू.सी.) एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र–मित्तई– प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र–मित्तई को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के रूप में विकसित किया जा रहा है। केन्द्र पर तैनात डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह, प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व में एक संविदा स्टाफ नर्स की तैनाती सेन्टर पर की गई थी, कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त पुनः सेन्टर पर नहीं आयी। उक्त के अतिरिक्त निम्न तथ्य संज्ञान में आयेः

1. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर सिटिजन चार्टर एवं अन्य आई.ई.सी. सामग्री निर्धारित स्थान पर उपलब्ध नहीं पाये गये।
2. केन्द्र पर तैनात फार्मासिस्ट द्वारा मानको के अनुसार Record keeping नहीं की जा रही थी।
3. केन्द्र पर मानक के अनुसार पर्याप्त औषधियाँ उपलब्ध नहीं थीं।

Scanned by CamScanner

4. प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा अवगत कराया गया केन्द्र पर संसाधनों के न होने के कारण ज्यादातर मरीजों/गर्भवती महिलाओं को उच्च स्तरीय चिकित्सा इकाईयों पर संदर्भित किया जा रहा है।
5. प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि उनको टैबलेट उपलब्ध कराया गया है परन्तु टैबलेट पर इण्टरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है जिससे उनके द्वारा टैबलेट में CBAC *फार्मों* की फीडिंग नहीं की जा रही है। *इस सम्बन्ध में उप महाप्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद स्तर पर इण्टरनेट हेतु धनराशि उपलब्ध करायी गई है।*
6. निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य इकाई के परिसर में खेलते हुए लगभग 10 बच्चे जिनकी उम्र 05–10 वर्ष की थी, से पूछने पर ज्ञात हुआ कि इन बच्चों का किसी भी विद्यालय/मदरसे में पंजीकरण नहीं किया गया है।

निर्देश– प्रभारी चिकित्साधिकारी–देवा एवं मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया गया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर आवश्यक औषधियाँ, उपकरण, जाँचों, मानव संसाधन इत्यादि की व्यवस्था यथाशीघ्र सुनिश्चित कराते हुए हेल्थ एण्ड वेलनेस केन्द्र को क्रियान्वित कराया जाना सुनिश्चित करें।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र–देवा– सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र–देवा के निरीक्षण के दौरान निम्नलिखित तथ्य संज्ञान में आये–

1. सी.एच.सी. पर तैनात सभी अधिकारियों/कर्मचारियों की उपस्थिति का अंकन मैनुअल किया जा रहा है। प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि 'बायो मैट्रिक्स' काफी समय से खराब है। *उक्त व्यवस्था सर्वथा अनुचित है।*

   प्रभारी चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया गया यथाशीघ्र बायो मैट्रिक्स मशीन को ठीक करायें।
2. स्वास्थ्य केन्द्र में बने जे.एस.वाई. वार्ड में मानकों से अधिक बेड डाले गये हैं एवं प्रसूता महिलाओं के साथ आये उनके परिजनों के बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है जबकि प्रथम तल पर बने जे.एस.वाई. वार्ड को एवं महिला एवं पुरूष शौचालय को स्टोर रूम बनाकर रखा गया है तथा प्रसव कक्ष (Labour room) से सटे हुए कक्ष को Cold Chain room बनाया गया है।

   प्रभारी चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया गया कि जे.एस.वाई. वार्ड को खाली करते हुए स्टोर रूम अन्यत्र स्थापित करें तथा वार्ड में परिजनों के बैठने का यथोचित प्रबन्ध करें। लेवर रूम से सटे हुए कक्ष में स्थापित कोल्ड चैन रूम को प्रथम तल पर स्थापित करवाना सुनिष्चित करें। यदि उक्त चिकित्सालय में आवश्यकतानुरूप वार्ड का निर्माण कराया जाना है तो उक्त के सम्बन्ध में उचित प्रस्ताव कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
3. प्रसूता महिला श्रीमती करिश्मा पत्नी श्री अरुण कुमार, निवासी–गौर सादिकपुर, रसूलपुर, देवा जोकि दिनांक 28.01.2020 को प्रातः 10:00 बजे चिकित्सालय पर आई किन्तु उसे सायं 06:40 बजे चिकित्सालय में भर्ती किया गया। महिला की दिनांक 21.01.2020 को हुई अल्ट्रासाण्ड रिपोर्ट के अनुसार उनका बच्चा पेट में उल्टा (Breach) था एवं उनका सिजेरियन प्रसव होना था। परन्तु चिकित्सालय में तैनात महिला चिकित्सक द्वारा दिनांक 21.01.2020 के अल्ट्रासाउण्ड रिपोर्ट का संज्ञान न लेते हुए स्टॉफ नर्स के माध्यम से सामान्य प्रसव कराया गया, जिससे उक्त महिला के बच्चे की मृत्यु हो गई।

   इस सम्बन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया गया कि प्रश्नगत प्रकरण की विस्तृत जाँच करते हुए, उक्त कृत्य में दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध की गई कार्यवाही से 15 दिन के अन्दर अवगत कराना सुनिश्चित करें।

Scanned by CamScanner

4. प्रथम तल पर स्थित बड़े हाल को मीटिंग हेतु आरक्षित किया गया है जबकि रोगियों हेतु खुले स्थान पर वार्ड बनाया गया है तथा *वहीं पर बायोमेडिकल वेस्ट के 03 बिन भी रखे गये थे जो कि सर्वथा अनुचित था एवं बायोमेडिकल बिन मानक के अनुसार कलर कोटेड भी नहीं थे।*

रोगियों हेतु खुले हुए कक्ष को कबर्ड करने एवं बायोमेडिकल वेस्ट बिन को मानक के अनुसार कलर कराकर, किसी अन्यत्र स्थान पर स्थानान्तरित करने के निर्देश दिये गये।

5. आर.के.एस. रजिस्टर में चिकित्सालय में हुई बैठकों के कार्यवृत्त तथा उनसे सम्बन्धित व्यय का समुचित रूप से अंकन नहीं किया जा रहा है जिससे यह प्रतीत होता है कि या तो आर.के. एस. रजिस्टर के रख–रखाव के सम्बन्ध में, सम्बन्धित कर्मचारी को समुचित प्रशिक्षण नहीं दिया गया है अथवा उक्त कृत्य किसी अनियमितता का इंगित करता है।
6. आर.बी.एस.के. टीम द्वारा मैनुअल रजिस्टरों में किये गये भ्रमण का अंकन किया जा रहा है परन्तु RBSK Apps एवं मैनुअल रजिस्टर में अंकित संदर्भों का आपस में मिलान संभव नहीं था। टीम को आर.बी.एस.के. एप की पूर्ण जानकारी नहीं थी।
7. इसी कार्यक्रम के अन्तर्गत सन्दर्भित किये जा रहे बच्चों का मोबाइल नम्बर का उल्लेख नहीं किया जा रहा है जिससे कि संदर्भित केस को ट्रैक नहीं किया जा सकता।
8. आर.सी.एच. पोर्टल पर फीडिंग की जा रही थी परन्तु कार्मिकों द्वारा अवगत कराया गया है पोर्टल से रिपोर्ट जनरेट नहीं हो पा रही है।
9. सी.एच.सी. पर तैनात फार्मासिस्ट को DVDMS पोर्टल के सम्बन्ध में जानकारी नहीं थी।
10. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निरीक्षण के दौरान यह संज्ञान में आया कि केन्द्र में लगभग एक माह से अधिक समय से Paracitamol Tab, Paracitamol syrup, B. Complex, Multi Vitamin tab, BB Lotion, ARV, Iron Sucrose औषधियाँ नहीं उपलब्ध हैं। *उक्त स्थिति अत्यन्त गंभीर है। इस सम्बन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया गया कि औषधियों उपलब्धता यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।*
11. उक्त के अतिरिक्त एक्स–रे उपकरण, कॉटरी, सक्सन, एनेस्थेटिक्स वर्क स्टेशन, सूचर क्रोमिक कैटगट–4, ब्राईकिल नं.–1 वामर, दो फोटोथेरेपी, युरोबैग, वाईक्रिल, कैचगट नम्बर–1, न्यूबॉर्न बैग एवं मास्क, प्लास्टिक एप्रन (फुल लेन्थ), साई डिस्क आदि की भी अनुपलब्धता बतायी गई।
12. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर 102 नेशनल एम्बुलेंस (UP-32, EG 0445) का निरीक्षण किया गया जो उसी समय किसी मरीज को लेकर चिकित्सालय आयी थी। एम्बुलेंस में थर्मामीटर के अतिरिक्त अन्य सभी आवश्यक औषधियाँ एवं उपकरण मौजूद पाये गये। थर्मामीटर नहीं होने के बावजूद एम्बुलेंस कर्मी द्वारा उक्त मरीज के Temperature का अंकन अपनी रिपोर्ट में किया गया था।
13. स्वास्थ्य इकाई में मौजूद ज्यादातर प्रसूताओं को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के सम्बन्ध में जानकारी नहीं थी।

जिला महिला चिकित्सालय, बाराबंकी– निरीक्षण के दौरान चिकित्सालय के मुख्य चिकित्साधीक्षक–डॉ0 आर.सी. किशोर, एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान निम्नलिखित कमियाँ परिलक्षित हुईं–

1. प्रसव कक्ष में Radiant Warmer नहीं था तथा दो Kellyspad में से एक पंचर पाया गया।
2. प्रसव कक्ष में Protocol checklist का समुचित प्रबन्ध/प्रदर्शन नहीं किया गया था और न ही उसका फालो–अप किया जा रहा था।

Scanned by CamScanner

3. चिकित्सालय के कक्षों में उपलब्ध शैय्याओं के क्रमांक का अंकन नहीं किया गया था जिसके कारण अनावश्यक रूप से मरीजों एवं उनके परिजनों साथ ही चिकित्सालय के कर्मचारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। किसी भी प्रसूता की शैय्या के साथ BHT उपलब्ध नहीं पाया गया।
4. चिकित्सालय के वार्ड के सामने गैलरी में गर्भवती महिलाओं के परिजनों के बैठने हेतु समुचित प्रबन्ध नहीं था।
5. Post Operative वार्ड में उपलब्ध शैय्याओं के सापेक्ष कम्बल उपलब्ध नहीं थे, अतः ज्यादातर कम्बल मरीजों के परिजनों द्वारा स्वयं लाये गये थे।
6. Post Operative वार्ड में हवा की निकासी के समुचित प्रबन्ध नहीं थे।
7. वार्डों में बेडों पर उपलब्ध चादरें गन्दी एवं फटी हुई पायी गईं तथा परिजनों हेतु उपलब्ध करायी गई बेंच में एकरूपता नहीं (कुछ चौड़ी एवं कुछ पतली) पायी गई।
8. वार्ड में स्वास्थ्य सम्बन्धी गतिविधियों के प्रचार–प्रसार सम्बन्धी पोस्टर/विनायल नहीं पाये गये और न ही डाइट से सम्बन्धित कोई चार्ट लगा पाया गया।
9. मुख्य चिकित्साधीक्षक को निर्देशित किया गया है कि प्रसूताओं को जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत ससमय एवं मानक के अनुरूप भोजन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
10. वार्ड में भर्ती प्रसूताओं में ज्यादातर में खून की कमी (एनमिक) दिखने के कारण, उनका हीमोग्लोबिन जाँच कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
11. प्रसव उपरान्त बच्चों में टैंगिंग की व्यवस्था नहीं पायी।
12. अधिकतर प्रसूताओं को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के सम्बन्ध में जानकारी नहीं थी। जनपद में प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजना समन्वयक एवं परियोजना सहायक के पद पर नियुक्ति नहीं हुई है।

निर्देश–*मुख्य चिकित्साधीक्षक एवं मुख्य चिकित्साधिकारी तथा जिला हास्पिटल मैनेजर को निर्देशित किया गया कि चिकित्सालय का दिन में कम से कम एक बार राउण्ड/निरीक्षण (एक निर्धारित समय पर) करें एवं चिकित्सालयों में पायी गई उक्त कमियों को यथाशीघ्र निस्तारित करते हुए कृत कार्यवाही से 15 दिन के अन्दर अवगत कराना सुनिश्चित करें।*

Scanned by CamScanner